



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 698 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 29/ 08 / 2024

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक,
विन्धिया टेलीलिक, प्लॉट संख्या -ई-237,
तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-VII B,
मोहाली पंजाब।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जीनपुर के अन्तर्गत यमुना पुल से कैम्पटी तक कि०मी० कुल 16.2 मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ओ०एफ०सी० लाईन विछाने हेतु 0.486 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिक लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।
(EP/UK/OFC/41286/2019)।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-1166 (1)/X-4-19/2(58)2019, दिनांक-28 जनवरी 2020।
महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्त संख्या 4 के अनुसार "प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।" किन्तु आतिथि तक आपके द्वारा वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि जमा नहीं की गयी है।

अतः शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव हेतु वांछित धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	मद	भौतिक	दर	देय धनराशि (रु०)
1.	वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	100 पौध	₹ 1771 प्रति पौध	₹ 177100.00
				₹ 177100.00
₹ एक लाख सतहत्तर हजार एक सौ मात्र				

अतः उक्तानुसार धनराशि का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं परिपूर्ण अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में संगत दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अमित कंवर, भा०ब०से०)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी